रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D (D)73

12 ... 1976

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 9, 1976/आश्विन 17, 1898

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 9, 1976/ASVINA 17, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1976

सा० का० नि० 1439.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय (वर्ग 3 लिपिकवर्गीय पद) भर्ती नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम राजस्व आसूचना निदेशालय (वर्ग 3 लिपिकवर्गीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (1) सा० का० नि० 1463, तारीख 25 नवम्बर, 1972 के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित राजस्व आसूचना निदेशालय (वर्ग 3 लिपिकवर्गीय पद) भर्ती नियम, 1972 में :—

(i) उद्देशिका में, "वर्ग 3 अनुसचिवीय पद" शब्दों और अंकों के स्थान पर "समूह ग लिपिकवर्गीय पद" शब्द और अक्षर रखे जायेंगे ;

(ii) नियम 1 के उपनियम (1) में, "(वर्ग 3 अनुसचिवीय पद)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "(समूह ग लिपिकवर्गीय पद)" कोष्ठक, शब्द और अक्षर रखे जायेंगे ;

(iii) "अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1976

शुद्धि-पत्र

सा० का० नि० 1446.—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ए-12034/6/71-सी० आई० एस० (संशोधन संख्या 72) दिनांक 6 अगस्त, 1976 में पैरा 2 में उल्लिखित परन्तुक में "चयन समिति द्वारा" के पश्चात् और "उनकी स्क्रीनिंग" से पहले "जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य द्वारा की जायेगी" शब्द अन्तस्थापित किये जाएं।

[ए०-12034/6/71-सी० आई० एस०]

एस० रामस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 15th September, 1976

CORRIGENDUM

G.S.R. 1446.—In this Ministry's Notification No. A-12034/6/71-CIS (Amendment No. 72) dated 6th August, 1976, the words "presided over by the Chairman or a Member of the Commission", may be inserted after the words "Selection Committee" and before the words "to determine" in the proviso quoted in para 2.

[A-12O34/6/71-CIS]

S. RAMASWAMY, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1976

सा० का० नि० 1447.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी सिविल इंजीनियरिंग/आरकीटैक्चरल (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1975 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी सिविल इंजीनियरिंग/आरकीटैक्चरल (श्रेणी-3 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी सिविल इंजीनियरिंग/आरकीटैक्चरल (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1975 की अनुसूची में,

(1) "ड्राफ्टसमैन ग्रेड-I (आरकीटैक्चरल)" के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सम्मुख कालम 12 के अन्तर्गत "6 वर्ष" शब्दों के स्थान पर "3 वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(2) "ड्राफ्टसमैन ग्रेड-3/ट्रेसर" के पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सम्मुख कालम 12 के अन्तर्गत "5 वर्ष" शब्दों के स्थान पर "3 वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० 301(20)/72-बी० (डी०)]

राम किशोर गुप्त, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 1976

G.S.R. 1447.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the All India Radio Civil Engineering/Architectural (Class III posts) Recruitment Rules 1975, namely :—

(1) These rules may be called the All India Radio Civil Engineering/Architectural (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio Civil Engineering/Architectural (Class III posts) Recruitment Rules, 1975,—

(i) against serial number 2 relating to the post of "Draftsman Grade I (Architectural)", in the entry in column 12, for the words "six years", the words "three years" shall be substituted;

(ii) against serial number 6 relating to the post of "Draftsman Grade III/Tracer", in the entry in column 12, for the words "five years", the words "three years" shall be substituted.

[No. 301(20)/72-B(D)]

R. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 20th September, 1976

CORRIGENDUM

G.S.R. 1448.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Information & Broadcasting No. GSR 29 dated the 13th November, 1975 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 3rd January, 1976 at page 41, in line 10, for the words "in accordance from time to time in the regard", read "in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard".

[No. 1/17/73-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1976

सा० का० नि० 1449.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यटक संगठन (अराजपत्रित सांख्यिकीय कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम पर्यटक संगठन (अराजपत्रित सांख्यिकीय कर्मचारिवृन्द) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।